राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

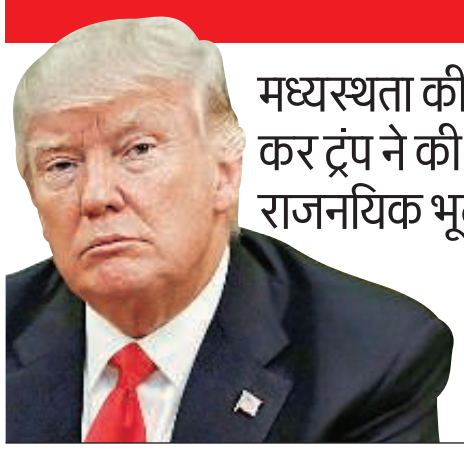

मध्यस्थता की बात कर ट्रंप ने की बड़ी राजनयिक भूल

>> 11

वर्ष 3 अंक 46

दैनिक जागरण

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 26 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

माइनस डिग्री तापमान में भी नहीं डगमगाए थे कदम

नई दिल्ली : आज देश कारगिल विजय की 20वीं सालगिरह मना जांबाजों को श्रद्धासुमन अर्पित करेगा। 18 हजार फीट ऊंची चोटी पर थे दुश्मन। नहीं थी घास के तिनके की भी ओट। माइनस डिग्री तापमान। पर नहीं डगमगाए थे कदम। विशेष प्रस्तुति। ● पेज 13

सरोकार

पीएमओ तक पहुंचीं बुंदेलियों की जल चौपालें

बांदा : जल है तो कल है, यह बात बुंदेलियों के जेहन में उतर चुकी है। बांदा में गांव-गांव आयोजित हुईं जल चौपालें इस बात की गवाह हैं। इसके तहत तालाब-कुआं जियाओ अभियान ने भी गति पकड़ ली है। जल संरक्षण की इस अनूठी पहल की गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गई। (पेज-6)

जागरण विशेष

कांवड़िया बन शिव का जलाभिषेक करता रहमान

प्रतापगढ़ : हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई आपस में सब भाई-भाई...। ये बस कोरी बात नहीं हैं। रहमान अली का उदाहरण सामने है। प्रतापगढ़ निवासी रहमान पिछले छह साल से अपने हिंदू दोस्तों संग बैजनाथ धाम की कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। (पेज-7)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

भाजपा ने मिजोरम में बनाया क्रिश्चियन मिशनरी सेल

आइजल : ईसाई बहुल मिजोरम में कमल खिलाने की तैयारी के मद्देजनर भाजपा ने पहली बार राज्य में क्रिश्चियन मिशनरी सेल की स्थापना की है। बुधवार से इसकी औपचारिक शुरुआत भी हो गई। सूबे की 40 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी का एकमात्र विधायक है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा से ईडी ने दस घंटे की पूछताछ

चंडीगढ़ : हरियाणा में हिसार के पूर्व सांसद एवं आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करीब दस घंटे पूछताछ की।

कारोबार ▶ पृष्ठ 10

पतंजलि के हाथों बिकी रुचि सोया इंडस्ट्रीज

मुंबई : लंबी रस्साकशी और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार बाबा रामदेव नियंत्रित पतंजलि आयुर्वेद ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण की बाजी जीत ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने रुचि सोया के लिए पतंजलि की 4,350 करोड़ रुपये की बोली को अनुमोदन दे दिया।

राज्यसभा में टूटी विपक्षी एकता, आरटीआइ बिल पारित

दिखाई ताकत ▶ विधेयक के पक्ष में 117, विपक्ष में 75 वोट पड़े

बीजद-टीआरएस ने दिया सरकार का साथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

16वीं लोकसभा के कार्यकाल में सरकारी विधेयकों के पारित होने में बड़ी बाधा रही राज्यसभा में सरकार ने गुरुवार को विपक्षी एकजुटता का तानाबाना तोड़ दिया। एक दिन पहले ही कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) संशोधन और तत्काल तीन तलाक सहित सात विधेयकों का रास्ता रोकने की रणनीति तैयार की थी। लेकिन बीजू जनता दल (बीजद) और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने सरकार का साथ देकर आरटीआइ संशोधन विधेयक पारित करा दिया। अब ये अटकलें भी तेज हो गई हैं कि तत्काल तीन तलाक सहित कुछ दूसरे विधेयकों पर भी राज्यसभा में विपक्ष का अब तक का बहुमत अल्पमत में बदल सकता है।

एक दिन पहले ही विपक्ष की रणनीति तय हुई थी और उस पर हस्ताक्षर करने वालों में बीजद और टीआरएस भी शामिल थे। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार, संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और फिर बीजद का रुख बदल गया। दो दिन पहले लोकसभा में दोनों दलों ने आरटीआइ संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राज्यसभा में विधेयक के समर्थन में 117 जबकि विरोध में सिर्फ 75 मत पड़े। हालांकि कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने इस बीच हंगामे का कोई मौका नहीं छोड़ा। मतदान के बाद हार देखकर वे सदन से वॉकआउट कर गए। इससे पहले सरकार ने संशोधन विधेयक पर विपक्ष की आशंकाओं का जवाब देते हुए कहा, इस संशोधन के जरिये सिर्फ सेवा शर्तों और वेतन-भत्तों में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही स्पष्ट किया कि मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त जैसा नहीं है। मौजूदा कानून के तहत मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर रखा गया था। केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस संशोधन से आरटीआइ की स्वायत्ता और अधिकारों में किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आएगी।

गुरुवार को राज्यसभा में आरटीआइ संशोधन बिल पर बोलते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। एएनआइ

राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार संसद को भी सरकारी विभाग की तरह चलाना चाहती है। ऐसी सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। कांग्रेस इस पूरे मामले से इसलिए भी नाखुश थी क्योंकि वह संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने पर अड़ी थी, लेकिन सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। लोकसभा से आरटीआइ संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। दरअसल, कांग्रेस के लिए इस विधेयक का पारित होना एक बड़ा झटका है। अब तत्काल तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में आना है। राजग का घटक दल जदयू इसके विरोध में है, लेकिन बीजद समर्थन में।

जदयू का विरोध, बीजद का समर्थन, तलाक बिल पर मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- लोकसभा में सरकार बोली, दूसरे धर्मों में भी पत्नी को गलत तरीके से छोड़ने पर सजा का प्रावधान
- इस महत्वपूर्ण विधेयक की असली परीक्षा राज्यसभा में ही होगी

लंबी बहस के बाद तीन तलाक विधेयक फिर लोकसभा से पास हो गया। चर्चा के दौरान सत्तापक्ष की ओर से जदयू बिल के खिलाफ तो विपक्ष की ओर से बीजद पक्ष में खड़ा नजर आया। विपक्ष के नेताओं ने पुराने तर्कों को दोहराया, जिसका कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिंदुवार जवाब दिया। प्रसाद ने साफ कहा, बिल का संबंध किसी धर्म से नहीं है, महिलाओं के इंसाफ से है। पिछली बार राज्यसभा से पास नहीं होने के कारण निरस्त हो जाने वाले इस बिल की असली परीक्षा फिर वहीं होगी।

लगभग साढ़े छह घंटे से अधिक चली बहस के दौरान सरकार की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा, हिंदुओं के बीच प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के लिए कई कानून बनाने वाली कांग्रेस 1986 में भारी बहुमत के बावजूद शाह बानो मामले में क्यों पीछे हट गई। उस समय भी कांग्रेस वोटबैंक को देखते हुए शाह बानो के खिलाफ थी और आज भी उसी वोट की खातिर तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाली शायरा बानो के खिलाफ है। आज सवाल किसी धर्म, पूजा, इबादत का नहीं है, सवाल इंसानियत, इंसाफ और मानवता का है।

गुरुवार को राज्यसभा में बोलते केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

उन्होंने कहा, 2017 के बाद एक साथ तीन तलाक के 574 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 324 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कानून के अभाव में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तीन तलाक को अध्यादेश जारी कर अपराध बनाने के बाद भी 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रसाद ने कहा, यदि उस समय आपने काम कर दिया होता तो आज हमें यह नहीं करना पड़ता।

> मोदी सरकार घूम-घूम के नहीं चलती, सीधी चलती है। यह किसी धर्म, आस्था या वोट का सवाल नहीं है बल्कि नारी के सम्मान और उसके साथ इंसाफ का सवाल है।
> -रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री

प्रसाद ने अन्य धर्मों में तलाक मामले में अपराधिक सजा का प्रावधान नहीं होने के आरोप पर कहा, हिंदू धर्म में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर सात साल कैद का प्रावधान है। ईसाई, पारसी समेत अन्य धर्मों में भी पत्नी को अवैध तरीके से छोड़ने पर सजा का प्रावधान है। तीन तलाक को आपराधिक बनाने से पति-पत्नी में सुलह की संभावना खत्म होने की बात पर कहा, यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष पति कहता है कि उसने तलाक नहीं दिया है तो केस खत्म हो जाएगा। पति के जेल जाने पर मुआवजे की बात पर कहा, तमाम अपराधिक मामलों में सजा होने पर यह सवाल क्यों नहीं उठाए जाते हैं। वहीं, राजग की सहयोगी जदयू के सदस्य राजीव रंजन सिंह ने कहा, पार्टी किसी भी विवादित मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं होगी।

आजम खां की टिप्पणी लोस में बवाल पेज>>3
कांग्रेस के पाप का नतीजा भुगत रहा देश पेज>>3

बच्चों से दुष्कर्म मामलों पर विशेष जिला अदालतें बनाएं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को पोक्सो के तहत कोर्ट बनाने का आदेश
- **24,212** मामले दर्ज हुए हैं बाल यौन उत्पीड़न के एक जनवरी से 30 जून तक

बच्चों से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने और ऐसे मामलों की जल्द जांच और ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश जारी किए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जिन जिलों में पोक्सो में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं ऐसे हर जिले में बाल यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (पोक्सो) के तहत विशेष अदालत गठित की जाए। कोर्ट ने 60 दिन में अदालतों को गठित कर कामकाज शुरू कर देने का आदेश देते हुए कहा है कि ये अदालतें सिर्फ पोक्सो के मुकदमे सुनेगी।

इसके साथ ही बच्चों का यौन उत्पीड़न रोकने और अपराधियों को दंडित किये जाने के प्रति जागरुकता लाने के लिए देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म से पहले एक वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी। वीडियो क्लिप का प्रसारण टीवी चैनलों पर भी होगा। बुधवार को ही राज्यसभा ने पोक्सो संशोधन विधेयक पास किया है। इसमें बच्चों के दुराचारियों को 20 साल कैद से लेकर मौत तक की कड़ी सजा के प्रावधान किये गए हैं।

बच्चों से दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से व्यथित सुप्रीम कोर्ट ने बाल उत्पीड़न रोकने के उपाय पर स्वयं सुनवाई शुरू की है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता व अनिरुद्ध बोस की पीठ ने ये आदेश दिया है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने देशभर से आंकड़े एकत्रित कराए थे जिसमें पता चला कि एक जनवरी से 30 जून तक बाल यौन उत्पीड़न के 24,212 मामले दर्ज हुए। 6449 में ट्रायल शुरू हुआ और 911 केस में फैसला आया। इस मामले में कोर्ट ने वरिष्ठ वकील वी गिरि को न्यायमित्र नियुक्त किया था और सुझाव मांगे थे।

क्या कहा कोर्ट ने

- 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं जिन जिलों में बाल यौन उत्पीड़न के, वहां विशेष अदालतों का गठन किया जाए
- 60 दिनों में अदालतों का गठन कर कामकाज शुरू किया जाए, अदालतों के गठन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी
- देश भर के सिनेमाघरों में फिल्म से पहले बाल यौन उत्पीड़न रोकने की वीडियो क्लिप दिखाई जाए। टीवी चैनलों पर भी हो प्रसारण

गुरुवार को गिरि की ओर से कोर्ट को सुझाव दिये गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने भी रिपोर्ट दाखिल की और कोर्ट से और आंकड़े एकत्र करने के लिए कुछ समय मांगा लेकिन कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करने के बजाए ऐसे मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए क्रमवार निर्देश जारी किये। कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अदालतों और संसाधनों की कमी पर भी चिंता जताई।

कोर्ट ने कहा, अदालतों के गठन का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। खर्च में न्यायाधीश, सहयोगी स्टाफ और विशेष अभियोजक की नियुक्त व अदालतों में बच्चों के अनुकूल माहौल होना शामिल है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित बच्चे को सहयोग करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में शैक्षणिक योग्यता के साथ बच्चों के प्रति संवेदनशील व बाल अधिकार के प्रति समर्पण को महत्व दिया जाए।

कोर्ट ने गिरि का सुझाव स्वीकारते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह बाल उत्पीड़न रोकने और दोषियों को सजा देने के प्रति लोगों में जागरुकता लाने के लिए एक छोटी वीडियो क्लिप तैयार कराए और उसे सिनेमाघरों में चलाया जाए। टीवी चैनलों पर भी प्रसारण हो। क्लिप में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो साथ ही स्कूलों व पब्लिक प्लेस में भी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किये जाएं। कोर्ट ने राज्यों के फोरेंसिक जांच लैबोरेट्री के निदेशकों व संबंधित अथारिटी से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि जल्दी जांच करके बिना देरी के रिपोर्ट अदालत पहुंचे। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से तत्काल आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से चार सप्ताह में आदेश के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई 26 सितंबर तक टाल दी।

कोलेजियम नहीं, न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे चिंता का विषय : सुप्रीम कोर्ट पेज>>4

उप्र मदरसा बोर्ड अब सीबीएसई और आइसीएसई की राह पर

शोभित श्रीवास्तव, लखनऊ

- मदरसों के छात्र-छात्राओं को एक विषय का एक प्रश्नपत्र ही हल करना होगा
- 14 वर्ष से कम उम्र वाले विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे मुंशी और मौलवी की परीक्षा

अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के भी छात्र-छात्राओं को एक विषय की एक परीक्षा देनी होगी। मदरसा शिक्षा परिषद ने सीबीएसई, आइसीएसइ व यूपी बोर्ड की तर्ज पर पाठ्यक्रम के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था 2020 की मदरसा बोर्ड की परीक्षा में लागू होगी। बोर्ड ने मुंशी व मौलवी परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम 14 वर्ष की उम्र भी तय कर दी है।

अभी तक मदरसा बोर्ड के छात्र-छात्राओं को परीक्षा में विभिन्न विषयों के दो से तीन प्रश्नपत्र देने पड़ते हैं। अब मदरसा बोर्ड एक विषय का एक प्रश्नपत्र पैटर्न लागू करने जा रहा है। हर प्रश्नपत्र 100-100 अंकों का होगा। अब आलिया में पांच अनिवार्य विषय के साथ ही एक वैकल्पिक विषय यानी कुल छह पेपर देने होंगे। मुंशी व मौलवी परीक्षा में चार अनिवार्य विषय के साथ ही एक वैकल्पिक विषय की परीक्षा देनी होगी। जिस विषय का पाठ्यक्रम बड़ा होगा वहां प्रश्नपत्र में एक से अधिक खंड दिए जाएंगे। इसमें प्रश्नों को हल करने के लिए विकल्प दिए जाएंगे। बोर्ड ने प्रश्नपत्रों के गठन व उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पाठ्यक्रम समिति की बैठक शीघ्र बुलाने के निर्देश दिए हैं।

मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय ने बताया कि मुंशी व मौलवी की परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष तय कर दी गई है। आयु की गणना परीक्षाफल घोषित होने वाले वर्ष की 31 मार्च से की जाएगी। यानी 2020 की मुंशी व मौलवी परीक्षा में वही परीक्षार्थी शामिल हो पाएंगे, जिनकी उम्र 31 मार्च 2020 को 14 वर्ष हो जाएगी।

डिग्री पूरी करने के अधिकतम वर्ष तय : मदरसा बोर्ड में डिग्री अधिकतम कितने वर्ष में पास की जा सकती है, यह अभी तय नहीं था। इसे भी बोर्ड ने तय कर दिया है। मुंशी व मौलवी कोर्स दो साल का है, इसे अधिकतम चार वर्ष में पास करना अनिवार्य होगा। इस अवधि में पास न करने वाले छात्र बाहर हो जाएंगे। आलिम व फाजिल की दो वर्ष की डिग्री भी अधिकतम चार वर्ष में पास करनी होगी। कामिल की डिग्री तीन वर्ष की है, इसे भी अधिकतम छह वर्ष में पास करना अनिवार्य होगा।

मध्य प्रदेश में भाजपा को लगे झटके से अमित शाह नाराज, मांगी रिपोर्ट

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन बुधवार को दो विधायकों द्वारा पाला बदल कर कांग्रेस का साथ देने पर भाजपा हाईकमान नाराज है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह से फोन पर बातचीत कर नाराजगी जाहिर की है। शाह ने इस घटना को प्रदेश नेतृत्व की कमजोरी माना है।

ज्ञात हो, कर्नाटक के बाद सियासी गलियारों में मध्य प्रदेश सरकार को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं, इसी बीच बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में विधि संशोधन विधेयक को शून्य के मुकाबले 122 वोट से पारित करा दिया। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही थी कि उनकी सरकार को न केवल कांग्रेस, बसपा, सपा और निर्दलियों का समर्थन हासिल हुआ था बल्कि भाजपा के दो विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल का भी साथ मिला था। इससे उन्होंने अपनी सरकार की मजबूती का सभी को एहसास करा दिया।

भाजपाध्यक्ष ने दो विधायकों की टूट को प्रदेश नेतृत्व की कमजोरी करार दिया

इसकी सूचना जब भाजपा हाईकमान को लगी तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि शाह की नाराजगी के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में शिवराज सिंह, राकेश सिंह, सुहास भगत और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बैठक कर बागी विधायकों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दिल्ली में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में शिवराज सिंह शामिल होंगे। वह इस बारे में शाह को स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

हाईकमान भार्गव के बयान से भी नाराज : पार्टी सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा नंबर वन और नंबर टू संबंधी दिए बयान से नाराज है। पार्टी नेताओं की मानें तो उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है कि वह अपने बयानों पर लगाम लगाएं, वरना नेता प्रतिपक्ष पद से हाथ धोना पड़ सकता है। भार्गव ने लोकसभा चुनाव के बाद फ्लोर टेस्ट का बयान दिया था, तब भी पार्टी ने कहा था कि इस बयान से उनका लेना-देना नहीं है।

डैमेज कंट्रोल की कवायद पेज>>4

आइसीसी के मुखिया शशांक मनोहर को आम्रपाली समूह से मिली थी मोटी रकम

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के अध्यक्ष शशांक मनोहर के खाते में 36 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। वो फंड के गलत इस्तेमाल की श्रेणी में आता है क्योंकि वह उन लोगों का पैसा था, जिन्होंने आम्रपाली को घर खरीदने के लिए दिया था। मनोहर का नाम उन बिचौलियों की सूची में आता है, जिनको सीएमडी शर्मा ने 8.71 करोड़ रुपये में से भुगतान किया है।

शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आम्रपाली ग्रुप मामले में तीसरे पक्ष को मोटी रकम दिए जाने की जांच करने को कहा है। न्यायालय ने इसे 'धन का दुरुपयोग' बताया है। इसमें कंपनी के निदेशक शामिल हैं। अदालत ने कहा, 'निदेशक और कर्मचारियों ने लोगों के पैसे को गलत तरीके से दूसरों के खाते में डाला है।'

- विल्डर अनिल शर्मा ने शशांक के खाते में ट्रांसफर किए थे 36 लाख रुपये
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा-यह रकम देना फ्लैट बायर्स के दिए पैसे का दुरुपयोग

शशांक मनोहर फाइल फोटो

इस बीच, पेशे से वकील मनोहर ने सफाई देते हुए कहा, 'मैं चार साल पहले पटना उच्च न्यायालय में आम्रपाली ग्रुप की तरफ से केस लड़ने गया था। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है।' मनोहर के खाते में पैसा शर्मा की देखरेख में ट्रांसफर किया गया था। मनोहर का नाम आदेश में दो बार आया है। पहली बार उन लोगों की सूची में, जिनके खाते में गलत तरीके से फंड ट्रांसफर किया गया। दूसरी बार तब जब शर्मा ने फोरेंसिक ऑडिटर्स की मदद से अपने द्वारा भुगतान किए गए लोगों की सूची बनाई थी।

सूची में चंदन होम्स प्राइवेट लि., शफायर डिजिडल प्रिंटर्स, मानस नर्सिंग होम, सुरभि एडर्वटाइजिंग प्राइवेट लि. और क्वालिटी सिंथेटिक इंडस्ट्रीज लि. के नाम भी शामिल हैं। निदेशकों ने घर खरीदारों के पैसे को शादी, विदेश यात्राओं, जेवर, महंगी कारों, शेयर खरीदने में खर्च किया था। कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वह कंपनी, उसके प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा, निदेशक शिव प्रिया, अजय कुमार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उल्लंघन को लेकर हवाला का मामला दर्ज करे।

नई जिम्मेदारी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान 31 जुलाई को संभालेंगे नई जिम्मेदारी, आम सैन्य अधिकारियों की तरह 15 दिन रहेंगे तैनात

आतंकियों के गढ़ दक्षिण कश्मीर में फौजियों के साथ गश्त करेंगे धौनी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- जवानों के साथ पोस्ट पर ड्यूटी देंगे और गार्ड के रूप में रहेंगे तैनात
- 2012 और 2017 में भी बने थे सेना के विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा

क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्कों की झड़ी लगाकर बड़ी-बड़ी टीमों के हौसले पस्त करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धौनी जल्द ही आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण कश्मीर में जवानों के साथ आपरेशनल ड्यूटी और पेट्रोलिंग (गश्त) करते नजर आएंगे। रक्षा मंत्रालय और सैन्य प्रशासन ने उन्हें कश्मीर में सेना के साथ सक्रिय ड्यूटी निभाने की अनुमति दे दी है। वह इसी माह 31 जुलाई को जिम्मेदारी संभाल लेंगे। यह पहला मौका होगा जब वह आम सैन्य अधिकारी की तरह कश्मीर में लगभग 15 दिन रहेंगे।

श्रीनगर में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धौनी 2012 में भी कश्मीर में करीब एक सप्ताह तक सेना के साथ रहे थे। उस समय उन्होंने विभिन्न जगहों पर जवानों और अफसरों के बीच जाकर उनका मनोबल बढ़ाया था। वह उड़ी सेक्टर समेत उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में भी गए थे। वह 2017 में भी कश्मीर आए थे और सेना के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए थे।

गश्ती दल का हिस्सा होंगे धौनी : अधिकारी ने बताया कि यह पहला मौका होगा जब वह आम सैन्य अधिकारियों की तरह कश्मीर में 15 दिनों तक रहेंगे। उन्हें कहां तैनात किया जाएगा, यह अभी तय नहीं है, लेकिन वह एक लेफ्टिनेंट कर्नल की हर प्रकार की ड्यूटी निभाएंगे। दक्षिण कश्मीर में जहां भी उनकी यूनिट का दस्ता गश्त के लिए जाएगा, वह उसका हिस्सा रहेंगे। वह गार्ड और पोस्ट ड्यूटी भी करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह आतंकियों के खिलाफ अभियान का भी हिस्सा बनेंगे तो उक्त अधिकारी ने कहा, अभी यह तय नहीं है, लेकिन सेना की 106 टीए बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल वह अपने पद और जिम्मेदारियों के मुताबिक हर गतिविधि में शामिल होंगे।

आतंकरोधी अभियानों की कमान संभाल रही धौनी की बटालियन

महेंद्र सिंह धौनी को सेना ने 2011 में ब्रांड अंबेस्डर बनाते हुए 106 टेरीटोरियल आर्मी बटालियन (पैरा) में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया था। उनकी बटालियन इन दिनों दक्षिण कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों की कमान संभाल रहे विक्टर फोर्स के अधीन है। उल्लेखनीय है कि धौनी अभी तक वह 350 वनडे और 98 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। उनके नाम 10773 वनडे अंतरराष्ट्रीय रन दर्ज हैं।

महेंद्र सिंह धौनी की फाइल फोटो। प्रेट्र

धौनी ने चार साल पहले ली थी पैराशूट ट्रेनिंग : धौनी ने पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय से अपनी रेजीमेंट में सेवा देने की इच्छा जाहिर की थी। इसके लिए उन्होंने क्रिकेट से दो माह का अवकाश भी लिया है। करीब चार साल पहले धौनी ने आगरा ट्रेनिंग कैंप में भाग लेकर भारतीय सेना के विमान से पैराशूट ट्रेनिंग पूरी की थी। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान पांच बार पैराशूट से छलांग लगाई थी।

युवा वर्ग में बढ़ेगी सशस्त्र बल के प्रति जागरूकता : एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में ज्ञात धौनी का सशस्त्र बल के प्रति लगाव भी जगजाहिर है। उन्होंने अपनी रेजिमेंट में जाकर समय बिताने का फैसला लिया है। इससे युवा वर्ग में सशस्त्र बल के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वर्ल्ड कप के बाद संन्यास की चल रही थी अटकलें : अनुमान था कि वर्ल्ड कप-2019 के बाद धौनी क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। उनके संन्यास पर काफी समय से अटकलें चल रही हैं।

रामपुर के कोर्ट ने आजम खां पर लगाया 3.27 करोड़ का जुर्माना

जागरण संवाददाता, रामपुर

- उपजिलाधिकारी की अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का दिया आदेश

सपा सांसद और जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां को रामपुर सदर के उपजिलाधिकारी की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने यूनिवर्सिटी का गेट हटाने का आदेश जारी करते हुए तीन करोड़ 27 लाख का जुर्माना लगाया है। 15 दिन में आजम को खुद अवैध कब्जा हटाने का निर्देश के साथ ही पीडब्ल्यूडी को आदेश का अनुपालन कराने को कहा है। ज्ञात हो, आजम के खिलाफ जमीन कब्जाने के 27 मुकदमे (25 किसानों और दो प्रशासन की ओर से) दर्ज कराए गए हैं। प्रशासन ने सपा नेता को भूमाफिया भी घोषित कर दिया है।

उपजिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी गेट से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, यूनिवर्सिटी का गेट लोक निर्माण विभाग की सड़क पर बना है। इसने मार्ग को बाधित कर दिया गया है। इसे 15 दिन के अंदर हटाया जाए। साथ ही तीन करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति की जाए। यह भी कहा, कब्जा मुक्त होने तक प्रतिमाह नौ लाख दस हजार क्षतिपूर्ति अलग से देने होंगे। यूनिवर्सिटी के सीईओ विधायक अब्दुल्ला आजम का कहना है कि यूनिवर्सिटी में सुंदरीकरण का कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घोषणा और कैबिनेट के फैसले से हुआ था। एसडीएम को कैबिनेट के फैसले को बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

पीडब्ल्यूडी ने दायर किया वाद : लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने इस संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया कि विवि परिसर के अंतर्गत बनी सड़क प्रांतीय खंड के स्वामित्व के मार्ग पसियापुरा, लालपुर डाम का हिस्सा है।